

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नं.-10092/3374

दिनांक :- 03-07-2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III)के अन्तर्गत नियमित करते हुए एवं कॉलम 05 में अंकित कर्तव्य अवधि के वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.मं.	लिंक नंबर	नाम/पदनाम	अवधि		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है।
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	कर्तव्य अवधि	
1	2	3	4	5	6
1	10092/2013	वन्दना शर्मा कं. लेखाकार	14.06.2018 से 15.06.2018	01.06.2018 से 13.06.2018	कार्यालय कोषाधिकारी,सीकर
			दिनांक 16.06.2018 एवं 17.06.2018 राजकीय अवकाश सहित।		

✓ 5
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नं.-10092/3374

दिनांक :- 03-07-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. कोषाधिकारी,सीकर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर वेतन भुगतान एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज कराने की व्यवस्था करावें।
2. वन्दना शर्मा कं. लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी,सीकर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव,निदेशक।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

✓
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)